

ORDER SHEET

THE COURT

Of 20

Case - MSC/18/2017

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
<p>03⁰²/₁₂</p> <p>11⁰²/₁₇</p>	<p>आवेदिका श्रीमती गोविन्दी द्वारा श्री राधामोहन शर्मा को ने उपस्थित होकर एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 151 जाही का पेश कर इस न्यायालय के प्र.क- 49/14 कलम श्रीमती मती नीतू बनम समुपस्थित आदि खाति- 13-05-18 के पालन में जमा मुदा अवाई राशि के मुगतान कराये, जाने बाबत पेश किया।</p> <p>उक्त आवेदनपत्र की प्रति नायब नाजिर गोहट को मार भेजकर जमा मुदा अवाई राशि के संबंध में प्रतिवेदन तलब हो।</p> <p>प्रकरण को विधिवत एम.जे.सी में पंजीबद्ध किया जाये।</p> <p>मूल अभिलेख तलब हो।</p> <p>प्रकरण दिनांक 11-02-17 को पेश।</p> <p>प्रकरण आज बृहत् लोक अदालत में रखा गया।</p> <p>आवेदिका श्रीमती गोविन्दी सहित श्री अधिवक्ता उपस्थित प्रकरण प्रतिवेदन की प्राप्ति हेतु नियत है।</p> <p>नायब नाजिर गोहट से प्रतिवेदन प्राप्त मूल अभिलेख प्राप्त जो संलग्न अभिलेख किया।</p> <p>हीमा कम्पनी अधिवक्ता श्री अरुण श्रीवास्तव उपस्थित।</p> <p>अवाई राशि आवेदनपत्र पर उभयपक्ष को सुना गया।</p> <p>मूल अभिलेख का अवलोकन किया अवाई राशि के जमा होने के संबंध में नाजिर रिपोर्ट का अवलोकन किया।</p>	<p>सदर दि मोटर दुर्घटना बाबत प्राविशिका गोहट जिला-मिर्जापुर</p> <p>प्रि.म.गोविन्दी Identified by me</p>

Date of
order or
proceeding

Order or proceeding with Signature

साथ
ROBRO

सीमाना की

आवेदनपत्र पर विचार किया गया प्रकरण में आवेदनक को क्षतिपूर्ति हेतु द्यादि. 13-05-16 के पालन में बीमा कम्पनी द्वारा 970190/- (नौ लाख सत्तर हजार एक सौ नब्बो रुपये जरिये बैंक जमा किया गया जो इस न्यायालय के बैंक जमा पंजी कं-02/17 दिनांक 24-01-17 को 970190/- (नौ लाख सत्तर हजार एक सौ नब्बो रुपये से न्यायत अनुमान गोहर भेजा गया जो न्यायत अनुमान के संवीचन कमांक 02/17 दिनांक 25-01-17 पर जमा होकर शेष है।

मूल अभिलेख के आवलोकन से दर्शात होता है कि इस न्यायालय में निराकृत प्रकरण दिनांक 13-05-16 को हुआ। अर्वाड करी आवलोकन किया जिसमें अर्वाड पारित करते हुए राशि 8,30,000/- (आठ लाख तीस हजार) रुपये उस पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक 19-09-14 से पूर्ण आवेदनकी तक आवेदनकण को 7.5 प्रतिशत वार्षिक सहायण राश के बीमा कम्पनी द्वारा अदा किये जाने का आदेश दिया गया है। जिसमें आवेदनक कं-1 को सहचर्य की हानि के 100000/- (एक लाख) रुपये की प्राप्त होगी। तथाशेष सह की राशियों में आवेदनकण का समान हिस्सा रहेगा।

अनावेदनक कं-3 द्वारा क्षतिपूर्ति एवं व्यय जमा करने पर उसमें आवेदनकण को 100000-100000 /- (एक-एक लाख) रुपये राष्ट्रीकृत बैंक खाते के माध्यम से नगर प्रदान किये जावे तथा शेष राशि को तीनों आवेदनकण के नाम से तीन-तीन वर्ष की कालावधि के लिए प्रथक-प्रथक एफ.डी.आर के माध्यम से राष्ट्रीकृत बैंक में जमा कराव जावे। जिस पर आवेदनकण बचत खाते के माध्यम से बैमाभिक व्यय को राशि का आहरण कर सकेंगे।

चूंकि आवेदनक श्रीमती गोविन्दी द्वारा अपनी जमा मुदा राशि के संबंध में प्रथक से अर्वाड प्राप्त किये जाने आवेदनपत्र पेश किया है। जो मृतक की सां है। अतः आदेश के पालन में श्रीमती गोविन्दी पत्नी श्री रामसुरूप निवासी जगन्नाथ पुरा थाना गोहर चौराहा तहसील गोहर जिला मिण्ड म.प्र. 1,00,000/- (एक लाख) रुपये की राशि राष्ट्रीकृत बैंक खाते के माध्यम से नगर भुगतान व 1,64,437/- (एक लाख चौरासी हजार पान सौ सैतीस) रुपये 00 वर्ष की कालावधि के लिए (एफ.डी.आर) के माध्यम से जमा किये जावे। आदेशानुसार पक्षकार के लुपकृत हानि पर रिफण्ड वाचचर तैयार कर नायब नाजिर गोहर की ओर कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

लोक अदालत के डिकेट तैयार हो।

मूल अभिलेख वापिस हो।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार मिण्ड भेजा जावे।

दो लाख चौरासी हजार
चार सौ सैतीस
का वाउचर प्राप्त

नि.म.गोविन्दी

Identified by me
Dul

पी. सी. मिश्र

सदस्य

हि. मोटर दुर्घटना वाया प्राविकरण
गोहर जिला मिण्ड म.प्र.)

मोहर की वापस

राइस

240516 20 15

गोहर जिला मिण्ड